

फर्द अहकाम

(नियम-26)


न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक पदेन कलक्टर खेतड़ी जिला नीमकाथाना (राज.)

प्रार्थना पत्र संख्या58../2024

किस्म मुकदमा :- अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट 1955 अस्थाई निषेधाज्ञा।

उनवानी

सन्तरा बनाम शीशपाल सिंह आदि

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
03.06.2024	<p>आज यह प्रार्थना पत्र प्रार्थिया की ओर से श्री प्रवीण जेवरिया एडवोकेट ने पेश किया। कार्यालय टिप्पणी ली गई। बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रकरण में एडमिट स्तर पर ही अधिवक्ता प्रार्थिया को सुना गया। प्रार्थिया का मूल वाद उनवानी सन्तरा बनाम शीशपाल सिंह आदि आज दिनांक 03.06.2024 को एडमिट स्तर पर खारिज हो चुका है। इसलिए हस्तगत प्रार्थना पत्र आगे चलने योग्य नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र एडमिट स्तर पर ही खारिज किया जाता है। पत्रावली दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।</p> <p style="text-align: right;"> 3/6/24 उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी</p>	

